न्यायालय सहायक कलक्टर(द्वितीय), सीकर

उनवान गोपालदास बनाम बसन्ती देवी

किस्म मुकदमा – आवेदन अ.धारा 212 आर.टी.ए.1955 मु.नं. 80 वर्ष 2020

दिनांक	आज्ञा पत्र	
02.11.2020	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री नोपाराम जांगिड़** अधिवक्ता हाजिर। रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रार्थना–पत्र वाद–पत्र के साथ पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्ट किया जावे। प्रार्थीया अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थीया के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्‌देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना गया। प्रार्थीया अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थीगण हक हिस्से एवं कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने, बेदखल करने, रहन विक्रय आदि करने पर आमादा हैं। सो अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अंतरिग अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण द्वारा आगामी पेशी दिनांकः 23.11.2020 तक **अप्रार्थीगण को जरिये जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि विवादित आराजी भूमि खसरा नं. 868, 869, 870, 871,873 वाकै ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर के रेकार्ड व मौके की यथास्थिति आ.ता.पेशी 23.11.2020 तक बनाये रखें।** प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधरण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत भी करें, अन्यथा आगामी तारीख पेशी पर एकपक्षीय अंतरिम स्थगन स्वतः ही वैकेट हो जावेगा। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि 'वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें, तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित् करें। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। आगामी तारीख पेशी दिनांकः 23.11.2020 तक ही उक्त आदेश प्रभावी रहेगा। उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने पर उक्त अंतरिम आदेश स्वतः ही वैकेट हो जावे। पत्रावली आ.ता.पेशी **दिनांक 23.11.2020** को पेश हो। Sd/- **सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर**	
23/11/20	**पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक** 15.1.21 **को पेश हों।** Sd/- अ.प्रा.स.3 की ओर से Adv संदीप शर्मा हाजिर।	

6/1/21

पत्रावली आज मिसल तलबी आदेश पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं. 1 व 2 मय वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1 व 2 की ओर से A.G. रेकीमदार शर्मा हाजिर। प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वयं प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी की उपस्थिति में प्रार्थी के अनुरोध एवं वकील के बयान पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर